

प्रेसनोट दिनांक 06.06.2023

1. दिनांक 05.06.23 को वादी श्री छट्ठीराम पुत्र स्व० घिराऊ नि० पारागरीब शाह थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 डबलू 5229 का चालक नामपता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पुत्र के मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी के पुत्र व उसके दोस्त का घायल हो जाना जिससे ईलाज के दौरान वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाना तथा मो०सा क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 266/23 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 05.06.23 को वादी श्रीमती पत्नी महेश कुमार नि० नरायनपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सफेद रंग की बोलेरों का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादिनी के पति के मो०सा० में टक्कर मारकर घायल कर देना व मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 267/23 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 05.06.23 को वादी श्री बापूराम पुत्र स्व० रामआसरे नि० टेड़िया गली थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 32 ईएक्स 9222 का चालक नामपता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पुत्र को टक्कर मारकर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 130/23 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 05.06.23 को वादी श्री बिलाल अहमद पुत्र नजीर नि० जगनपुर थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इब्रार अहमद पुत्र नजीर नि० जगनपुर थान रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा मोबाइल तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 249/23 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 05.06.23 को वादी उ०नि० श्री सुधाकर सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिलावर पुत्र रियाज नि० गोसाई का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अद्द चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 120/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।